198 परिशिष्ट

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांकः आर–1(   )11 / विविध /   दिनांक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, जयपुर।

विषय– कनक वृन्दावन से जयगढ–नाहरगढ रोड जंक्शन तक रोपवे निर्माण के लिए 1.51 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में।

प्रसंग– सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर का पत्र क्रमांक F. 8 (143)JDA/EE(PDC-I) Forest Clearance Aerial Ropeway /2012/D-291 दिनांक 12.10.2012

महोदय,

उपयुक्त विषयान्तर्गत सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक F. 8 (143)JDA/EE(PDC-I) Forest Clearance Aerial Ropeway /2012/D-291 दिनांक 12.10.2012 प्रस्तुत कर कनक वृन्दावन से जयगढ–नाहरगढ रोड जंक्शन तक रोपवे का निर्माण डीबीएफओटी पर करवाया जाना बताया गया है। रोपवे का निर्माण वन विभाग के नाहरगढ सेन्चुरी एरिया आमेर तहसील जयपुर में किया जाना है इस हेतु 1.51 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव वन विभाग में विचाराधीन है। वन विभाग द्वारा भारत सरकार के परिपत्र 11–9/1989 एफ.सी.(Pt) दिनांक 03.08.2009 के द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला कलक्टर का प्रमाण पत्र चाहा गया है।

अतः सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त मूल पत्रावलि आपको संलग्न कर भिजवायी जा रही है। प्रकरण में नियमानुसार 7 दिवस में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– मूल पत्रावलि

जिला कलक्टर
जयपुर

क्रमांकः आर–1(   )11 / विविध / 10220   दिनांक 30.10.2012

प्रतिलिपि:– सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक F. 8 (143)JDA/EE(PDC-I) Forest Clearance Aerial Ropeway /2012/D-291 दिनांक 12.10.2012के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

जिला कलक्टर
जयपुर

छायाप्रति प्रमाणित

☎ 0141-2209001(O), 0141-2209000(Fax)   Email:- dm-jaip-rj@nic.in

अधिशाषी अभियन्ता (रिंग रोड)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

-36-